न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील संख्या :–63/2018/भीलवाड़ा (2018/00063)

1. रूपा पुत्र भैरू माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती बाली पत्नी माधु
2. रमेश पुत्र माधु
   जाति माली निवासी जहाजपुर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
3. नन्दू पुत्री माधु पत्नी मांगीलाल
4. मुंशी पुत्री माधु पत्नी मांगीलाल
5. कैलाशी पुत्री माधु पत्नी महावीर
6. सन्तरा पुत्री माधु पत्नी हेमराज
   समस्त जाति माली निवासी पीपलून्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
7. शंकरी पुत्री माधु
8. लीला पुत्री माधु
   माली नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षिका माता श्रीमती बाली पत्नी माधु माली निवासी जहाजपुर जिला भीलवाडा
9. राजस्थन सरकार जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा
10. गोपाल पुत्र शंकरलाल माली निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 29.12.2011 अंतर्गत प्रकरण संख्या 12/2011.

उपस्थितः–

1. श्री रमजान मोहम्मद, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 8 एवं 10 अनुपस्थित
3. श्री बी0एस0शेखावत, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 9.

निर्णय

दिनांक :– 19.02.2019

अपीलांट ने यह अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2011 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 4540 व 4923 रकबा क्रमशः 12 बीघा व 7 बीघा व 19 बिस्वा का नामान्तकरण संख्या 2963 दिनांक 12.09.2003 को अपीलांट रूपा पुत्र भैरू खसरा नम्बर 4540 के 13 बिस्वा माधु पुत्र भैरू तथा खसरा नम्बर 4923 में 2/3 हिस्से का रूपा पुत्र भैरू तथा 1/3 हिस्से का माधु पुत्र भैरू के नाम दिनांक 12.09.2003 को तस्दीक कर दिया गया। नामान्तरकरण संख्या 2963 दिनांक 12.09.2003 के विरूद्ध अपीलांट रूपा पुत्र भैरू ने प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय ने नॉन स्पीकिंग आदेश जारी कर अपील को निरस्त कर दिया, जिससे व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोर्डेटस को नोटिस तामील प्राप्त होने के बावजूद वे अनुपस्थित रहे तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि दोनों अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय विधि विरूद्ध एवं कानून के खिलाफ होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही नामान्तरकरण संख्या 2963 दिनांक 12.09.2003 को तस्दीक कर दिया, जो निरस्तनीय है। उक्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार भैरू पुत्र भोला थे। भैरू के दो पुत्र रूपा व माधो एवं ग्यारसी पुत्री हुई। ग्यारसी ने रूपा के हक में अपना हिस्सा त्याग कर दिया और माता गुलाब फौत हो चुकी है। अपीलांट अभिभाषक के कथन अनुसार रेस्पोर्डेट माधो जयराम के गोद चले जाने से माधो के समस्त हक व अधिकार भैंरू की चल अचल सम्पत्ति में समाप्त हो गये। अपीलांट रूपा ही विवादित आराजी खसरा नम्बर 4540 रकबा 13 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 4923 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा का एक मात्र खातेदार काश्तकार होकर मालिक हो गया। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर नहीं किया कि माधो दत्तक पुत्र जयराम ने एक अन्य वाद संख्या 29/1993 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय सिविल न्यायाधीश क.ख. जहाजपुर की अदालत में पेश किया गया एवं इस प्रकरण में माधो ने अपने आपको जयराम का दत्तक पुत्र बताया जाकर जयराम की सम्पत्ति में गोद पुत्र के नाते दावा किया था। अभिभाषक ने अपने कथन में आगे निवेदन किया कि अपीलांट का भाई माधो गोद जाने के कारण भैरू की मृत्यु पश्चात माधो का नाम गलत रूप से नामान्तरकण संख्या 2963

दिनांक 12.09.2003 में दर्ज हो गया, जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावें। xx

4- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांट अभिभाषक की बहस पर मनन किया । प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सिविल न्यायाधीश (क.ख.) जहाजपुर के यहां दर्ज नियमित वाद संख्या 29/1993 दिनांक 09.01.2003 के अनुसार अपीलांट के सगे भाई माधो पुत्र भैरू का अन्य भूखण्ड से संबंधित उक्त प्रकरण में लिप्त भूमि पर कोई विधिक अधिकार नहीं माना है, जिससे अपीलांट का यह तर्क की माधो जयराम का गोद पुत्र होने से माधो एवं उसके वारिसान का प्रश्नगत भूमि में कोई दावा नहीं होने संबंधी तर्क में कोई सार नहीं है क्योंकि अपीलांट द्वारा सिविल न्यायालय के उक्त निर्णय की प्रति के अलावा कोई अन्य दस्तावेज एवं साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय व न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किये है जिससे यह प्रमाणित हो कि माधो श्री जयराम के विधिक रूप से गोद गया हो। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा की पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा का निर्णय दिनांक 29.12.2011 को यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

5- अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 63/2018 (2018/00063) बउनवानी रूपा बनाम श्रीमती बाली पत्नी माधु व अन्य को अपास्त किया जाता है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 12/2011 बउनवान रूपा बनाम श्रीमती बाली व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.12.2011 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

6- आदेश आज दिनांक 19.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.02.27 12:58:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: